ग्राम पंचायत किरपालपुर, विकास खण्ड नालागढ़, जिला सोलन के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017

भाग—एक

1 (क) प्रस्तावनाः—

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 7.4.16 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत किरपालपुर, विकास खण्ड नालागढ़, जिला सोलन के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थेः—

प्रधान

क्र0सं0	प्रधान	अवधि
1	श्री धनी राम	1.4.14 से 22.1.16
2	श्री गुरप्रताप सिंह	23.1.16 से लगातार

सचिव

क्र0सं0	पंचायत सचिव	अवधि
1	श्री राकेश कुमार	1.4.14 से 31.3.17

(ख) गम्भीर अनियमितता का सारः—

ग्राम पंचायत किरपालपुर के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः—

क्रमांक	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	पैरा सं0	राशि (लाखों में)
1	अनुदान की राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	6	38.02
2	निविदाओं की औपचारिकता पूर्ण किए बिना ही स्टॉक/स्टोर का क्रय/भुगतान करना	9	12.53
3	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार की स्टॉक प्रविष्टियाँ न करना	13 (ख)	12.88

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

ग्राम पंचायत किरपालपुर के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण व निरीक्षण जिसके परिणाम अनुवर्ती पैरों में दर्शाये गये है, श्री पुनीश सागर, अनुभाग अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत कार्यालय, किरपालपुर में किया गया। लेखा परीक्षण के दौरान आय की विस्तृत जाँच हेतु माह 8/14, 12/15 व 07/16 तथा व्यय हेतु माह 04/14, 06/15 व 03/17 का चयन किया गया तथा अनुवर्ती अनुच्छेदों में दर्शाये गये अभिलेख के अतिरिक्त समस्त वाँछित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत किये गये।

यह अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाए गए अभिलेख एवं सूचनाओं पर आधारित है तथा पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा किसी अभिलेख अथवा सूचना के गलत उपलब्ध करवाए जाने/अपूर्ण उपलब्ध करवाए जाने अथवा उपलब्ध ही न करवाए जाने की अवस्था में इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रकार के प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

ग्राम पंचायत किरपालपुर के लेखाओं अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक का अंकेक्षण शुल्क ₹6000 बनता है। अनुभाग अधिकारी (लेखा परीक्षा) की अंकेक्षण अधियाचना संख्या 139 दिनांक 15.12.2017 द्वारा यह राशि बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–9 को भेजने हेतु अनुरोध किया गया है।

4 वित्तीय स्थितिः–

(क) स्वः स्त्रोतों एवं अनुदानः–

ग्राम पंचायत की स्वः स्त्रोतों एवं अनुदानों से सम्बन्धित लेखाओं की अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है, जिसका विवरण **परिशिष्ट "क"** पर दिया गया है।

वित्त वर्ष	आरम्भिक शेष (₹)	आय (₹)	कुल योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2014–15	1059277.77	991288	2050565.77	1415893	634672.77
2015–16	634672.77	3648423	4283095.77	1395851	2887244.77
2016–17	2887244.77	5421223	8308467.77	3364490	4943977.77

(ख) मनरेगाः–

ग्राम पंचायत किरपालपुर की मनरेगा से सम्बन्धित लेखाओं की अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है, जिसका विवरण **परिशिष्ट "क"** पर दिया गया है।

वित्त वर्ष	आरम्भिक शेष (₹)	आय (₹)	कुल योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2014–15	69	456276	456345.0	456345	0
2015–16	0	0	0	0	0
2016–17	0	2400364.80	0	240034.80	0

(ग) इंदिरा आवास योजना (IAY)

ग्राम पंचायत की इंदिरा आवास योजना (IAY) से सम्बन्धित लेखाओं की अवधि 1.4.14 से 31.3.17 की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है, जिसका विवरण **परिशिष्ट "क"** पर दिया गया है।

वित्त वर्ष	आरम्भिक शेष (₹)	आय (₹)	कुल योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2014–15	20950.74	108750	129700.74	106400	23300.74
2015–16	23300.74	75990	99290.74	85200	14090.74
2016–17	14090.74	101955	116045.74	50090.74	65955.00

5 रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करना तथा बैंक समाधान विवरणी तैयार न करनाः–

ग्राम पंचायत की रोकड़ बही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (3)

10 (1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातो ंसे मिलान करके बैंक समाधान विवरणी तैयार करना अपेक्षित था। अतः पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का बैंक खाते से मिलान न करना तथा बैंक समाधान विवरणी का तैयार न करना नियमों के विरूद्ध होने के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ बहियों को बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा बैंक समाधान विवरणी तैयार की जाए। ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी के अनुसार दिनांक 31.3.2017 को रोकड़ बही (वित्तीय स्थिति) तथा बैंक खातों के अन्त शेष में निम्नविवरणानुसार ₹61563.91 का अन्तर दर्शाया गया जिसका विवरण **परिशिष्ट "क"** में दिया गया है। अतः इस राशि का समाधान शीघ्र करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए। ग्राम पंचायत के अनुसार अन्तर का समाधान करके दर्शा दिया जाएगा।

क्र0सं0	**शीर्ष**	**रोकड़ बही/वित्तीय स्थिति के अनुसार दिनांक 31.3.17 को शेष परिशिष्ट "क"**	**दिनांक 31.3.2017 को विभिन्न बैंकों तथा हस्तगत शेष परिशिष्ट "क"**	**अन्तर**
1	स्वः स्त्रोत तथा अनुदान	4943977.77	5005541.68	61563.91
2	मनरेगा	0.00	0.00	0.00
3	IAY	65955.00	65955.00	0.00
			कुल योग	**₹61563.91**

नोटः– आरम्भिक तथा अन्तिम शेषों का विवरणः– ग्राम पंचायत के आरम्भिक तथा अन्तिम शेषों का विवरण निम्नानुसार हैः–

	दिनांक 1.4.14 को आरम्भिक शेष			**दिनांक 31.3.17 को अन्तिम शेष**		
शीर्ष	**बैंक/डाकघर का नाम**	**खाता सं0**	**शेष**	**बैंक/डाकघर का नाम**	**खाता सं0**	**शेष**
स्वः स्त्रोत तथा अनुदान	JCC Bank Nalagarh	275	427453.08	JCC Bank Nalagarh	275/000098	3956278.85
	JCC Bank Nalagarh	13590	608512.00	JCC Bank Nalagarh	13590/000031	1022632.00
	SBOP Nalagarh	93350	5503.00	SBOP Nalagarh	93350	5503.00
	JCC Bank Nalagarh (13th)	13589	17247.00	JCC Nalagarh	13589/000089	19423.00

	Post office nalagarh	———	135.00	Post office Nalagarh	————	135.00
	Cash in hand	———	427.69	Cash in hand	————	1569.83
	Total		1059277.77	Total	—————	5005541.68
मनरेगा	———	As per cash book	69.00	Uco Nalagarh	—————	0.00
IAY	———	-do-	20950.74	Sbop Nalagarh	55106798295	65955.00

नोटः– SBOP नालागढ़ (शेष ₹5503) तथा डाकघर नालागढ़ (शेष ₹135) की पास बुकें तथा उनमें जमा राशि से सम्बन्धित प्रमाण पत्र बैंकों से प्राप्त करके अंकेक्षण के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गए। इस कारण इन खातों में दिनांक 31.3.17 को दर्शाए गए शेषों के सही होने सम्बन्धी पुष्टि नहीं की जा सकी। साथ ही तुलन पत्र 2013–14 में JCC नालागढ़ बैंक (पास बुक संख्या 5592) के अनुसार दिनांक 31.3.14 को SGRY के अन्तर्गत ₹28004.81 शेष थे परन्तु सम्बन्धित पास बुक प्रस्तुत न किये जाने के कारण दिनांक 31.3.17 को शेष की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ–2 उपरोक्त अभिलेख आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किये जाएं।

(क) रोकड़ बही के रख रखाव से सम्बन्धित अनियमितताओं बारेः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का रख रखाव सही रूप से नहीं किया जा रहा था। रोकड़ बही में कई माहों के अन्त में सक्षम प्राधिकारी द्वारा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज के नियम 2002 के नियम 7 (2) के निर्देशानुसार रोकड़ शेष सम्बन्धी प्रमाण पत्र नहीं दिए गए थे। साथ ही रोकड़ बहियों में कई प्रविष्टियों का सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापन नहीं किया गया था, प्रविष्टियों में कटिंग्स तथा ओवर राईटिंग की गई थी तथा कई वाउचर्स पर प्रस्ताव संख्या भी नहीं लिखी गई थी जोकि नियम 7 (1) में दिए गए निर्देशों का उल्लंघन है। अतः उपरोक्त अनियिमतताओं बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ–2 इन अनियमितताओं के सन्दर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में हि0प्र0 पंचायती राज नियम 2002 के नियम 7 में दिए गए निर्देशों का अनुसरण कडाई से किया जाए।

(ख) निर्धारित सीमा से अधिक नकद राशि का रखनाः–

पंचायत की सामान्य रोकड़ बही के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा हस्तगत रूप में लगभग अधिकतम अवधि के दौरान नकद राशि को निर्धारित सीमा से अधिक रखा

गया था, जोकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें संपरीक्षा, ,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 10(3) के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। इस अनियमितता से सम्बन्धित कुछ प्रकरण निम्नानुसार है। अतः नियमों के विपरीत हस्तगत राशि को रखने का औचित्य स्पष्ट करते हुये भविष्य में नियमानुसार ही हस्तगत राशि का रख जाना सुनिश्चित किया जाए।

दिनांक	राशि
25.7.14 से 6.9.14	2986.83, 1404.83, 2364.83, 3434.83, 4219.83, 6464.83, 7209.83, 10214.83, 11814.83, 14689.83, 18424.83, 1799.83, 2841.83
16.9.14 से 1.1.15	1133.83, 13726.83, 3682.83, 6237.83, 83, 441.83, 3291. 83, 4186.83, 2356.83, 3555.83, 13815.83, 2805.83
21.74.15 से 25.3.16	11208.83, 3248.83, 1098.83, 1148.83, 1318.83, 1623.83, 2463.83, 7303.83, 4803.83, 5323.83, 4598.83, 1443.83, 3323.83, 2148.83, 3343.83, 3583.83, 2150.83, 4735.83, 3081.83, 3406.83, 3891.83, 1821.83, 1936.83, 6036.83, 6976.83, 5882.83, 3882.83, 14197.83, 9940.83, 6000,83, 6185.83, 4185.83, 1429.83
5.5.16 से 1.7.16	3478.83, 2411.83, 2558.83, 1636.83, 2971.83, 1214.83
4.2.17 से 31.3.17	3436.38, 2781.38, 4561.83, 1772.83, 1569.83

(ग) रोकड़ बही में हस्तगत शेषों में अन्तर पाए जाने बारे

रोकड़ बही (सामान्य) की पड़ताल के दौरान हस्तगत शेषों (cash in hand) में गलत गणनाओं के कारण निम्नानुसार ₹24152.90 का अन्तर पाया गया। इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

रोकड़ बही पृ0सं0	तिथि	रोकड़ बही में दर्शाया गया शेष	वास्तव में जितना शेष था	अन्तर
122	16.3.15	830.83	648.83	182
170	12.9.15	481.83	481.35	0.48
175	28.9.16	12631.35	631.35	12000
177	17.10.16	1676.35	676.35	1000
180	1.11.16	801.35	676.35	125

183	5.12.16	196.35	321.35	175
195	4.2.17	13436.35	3436.38	9999.97
198	1.3.17	4561.38	4561.83	0.45
202	3.3.17	2239.83	1569.83	670
			कुल योग	**₹24152.90**

6 अनुदानः—

(क) निर्धारित अवधि के दौरान विभिन्न अनुदानों से सम्बन्धित राशियों का उपयोग न करनाः—

ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी **(परिशिष्ट "ख")** के अनुसार दिनांक 31.3.2017 को विभिन्न अनुदान ₹3801840.02 शेष थी। जिससे यह प्रतीत होता है कि अनुदान राशियों का उपयोग निर्धारित अवधि के दौरान नहीं किया गया था जिसके फलस्वरूप धन का अवरोध होने के साथ—साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है। अतः अनुदान से सम्बन्धित राशियों को निर्धारित अवधि के दौरान व्यय न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा दिनांक 31.3.2017 को जिन अनुदानों की व्यय करने की निर्धारित अवधि समाप्त हो चुकी है उनसे सम्बन्धित राशियों को व्यय करने हेतु सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाये तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

(ख) अनुदानों से सम्बन्धित अभिलेख का रख रखाव न करनाः—

खण्ड विकास कार्यालय द्वारा समय—2 पर ग्राम पंचायत को विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत निर्माण कार्यों के कार्यान्वन हेतु अनुदान जारी किये जाते है। निश्चित रूप से अनुदान की यह राशियाँ जारी करते समय खण्ड विकास कार्यालय द्वारा कार्यालय आदेश जारी किये जाते होगें जिनमें जारी की गई राशियों उनके शीर्षों/निर्माण कार्यों आदि का स्पष्ट विवरण दर्ज होता होगा। परन्तु यह प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत में खण्ड विकास कार्यालय द्वारा जारी उपरोक्त कार्यालय आदेशों/पत्रों का रख रखाव ही नहीं किया जा रहा है। अंकेक्षण के दौरान मांगने के उपरान्त भी यह पत्र/दस्तावेज अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किये गए जिस कारण विभिन्न निर्माण कार्यों के कार्यान्वन हेतु जारी की गई राशियों, उनके शीर्ष तथा निर्माण कार्य जिनके कार्यान्वन हेतु वह जारी की गई थी के सही होने की पुष्टि

किया जाना सम्भव नहीं हो सका। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा ऐसा कोई भी अभिलेख अनुदान रजिस्टर आदि जिसमें विभिन्न अनुदानों के शेषों तथा प्राप्तियों/भुगतानों का शीर्षवार विवरण दर्ज हो अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत भी नहीं किया गया जिस कारण विभिन्न अनुदानों के दिनांक 31.3.17 को शेष बारे सही स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अभिलेख का रख रखाव करके आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाये। भविष्य में उपरोक्त अभिलेख का रख रखाव तथा नियमित रूप से अद्यतन किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

7 पंचायत राजस्व बारेः–

(क) गृह करः–

गृहकर से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः गृहकर मांग एवं एकत्रीकरण रजिस्टर तैयार कर आगामी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाए।

(ख) मोबाईल टावर्स बारेः–

अंकेक्षण के दौरान उपलब्ध करवाई गई जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत क्षेत्र में 7 टावर स्थापित है, परन्तु अंकेक्षण अवधि के दौरान वर्ष 2015–16 में ₹10000 ही एकत्रित किये गये व मोबाईल टावर्स के वार्षिक नवीनीकरण शुल्क की वसूली की गई थी तथा न ही दिनांक 31.3.17 को इनकी नवीनीकरण शुल्क की बकाया वसूली हेतु शेष राशि बारे जानकारी उपलब्ध करवाई गई। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा उपरोक्त अनियमितताओं के सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

(ग) ग्राम पंचायत द्वारा न तो दिनांक 1.4.14 को बकाया गृह कर तथा मोबाईल टावर रेंट की राशि से सम्बन्धित जानकारी उपलब्ध करवाई गई तथा न ही हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 33 में दिए गए निर्देशों के अनुसार फार्म 10 पर तैयार मांग एवं प्राप्ति अभिलेख प्रस्तुत किया गया। इसके अतिरिक्त गृहकर तथा मोबाईल टावर्स रेंट के निर्धारण से सम्बन्धित दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं करवाए गए। अतः इन अनियतिताओं बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा उपरोक्त वांछित अभिलेख अद्यतन करके आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किये जाएं।

(घ) मेले के दौरान प्राप्त आय से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करने बारेः–

अंकेक्षण के दौरान उपलब्ध करवाई गई जाकारी के अनुसार ग्राम पंचायत को अंकेक्षण अवधि के दौरान मेले शीर्ष के अन्तर्गत आय की प्राप्ति हुई थी। इस बारे चर्चा के

दौरान अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि प्रत्येक वर्ष ग्राम पंचायत की परिधि से मेले का आयोजन किया जाता है। ग्राम पंचायत को यह आय मेले के दौरान झूलो, दुकानों, रेहडियों आदि लगाने पर किराए के रूप में विभिन्न व्यापारियों से प्राप्त होता है। परन्तु बार–2 आग्रह करने के पश्चात भी झूलों, दुकानों, रेहडियों आदि के किराए की राशि, उनके किराए के निर्धारण से सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति तथा उनकी संख्या बारे अभिलेख अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया। इस कारण अंकेक्षण अवधि के दौरान दुकानों के किराए के रूप में प्राप्त आय 21850 (10000 (2015–16)+11850 (2016–17) के सही होने की पुष्टि नहीं की जा सकी। इसके अतिरिक्त वर्ष 2014–15 में इस शीर्ष के अन्तर्गत कोई भी आय प्राप्त नहीं हुई थी, जिसके बारे कोई औचित्य प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उपरोक्त आपत्तियों के सन्दर्भ में स्थिति स्पष्ट करने के साथ–2 अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

(ङ) पिक अप यूनियन से प्राप्त आय से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करने बारेः–

अंकेक्षण के दौरान उपलब्ध करवाई गई जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत की भूमि के उपयोग की एवज में पिक अप यूनियन से किराए के रूप में आय की प्राप्ति हुई थी, परन्तु ग्राम पंचायत की भूमि को किराए पर दिए जाने बारे सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति तथा भूमि के किराए के निर्धारण एवं किराए की प्राप्ति से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया। इस कारण अंकेक्षण अवधि के दौरान पिक अप यूनियन के किराए के रूप में प्राप्त आय ₹121500 (27000 (2015–16)+94500(2016–17) के सही होने की पुष्टि नहीं की जा सकी। इसके अतिरिक्त वर्ष 2014–15 में इस शीर्ष के अन्तर्गत कोई भी आय प्राप्त नहीं हुई थी, जिसके बारे में कोई औचित्य प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उपरोक्त आपत्तियों के सन्दर्भ में स्थिति स्पष्ट करने के साथ–2 अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

8 निर्माण कार्यों सम्बन्धी अनियमितताएंः–

निर्माण कार्यों से सम्बन्धित अभिलेख के परीक्षण (Test check) के दौरान निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गईः–

(क) निर्माण कार्य C/O para rasta (interlock tiles) main road to H/O avtar, village Rakh Ram Singh (माह 3/17, सामान्य रोकड़ बही) की समाप्ति पर सम्बन्धित माप पुस्तिका संख्या 7044 में 20 बैग्स सीमेन्ट की खपत दर्शाई गई थी, परन्तु सीमेंन्ट स्टॉक

रजिस्टर (पृष्ठ संख्या–1) से केवल 4 बैग्स सीमेंट जारी किये गये थे। अतिरिक्त 16 बैग्स (20–4) की खपत कहाँ से की गई थी इस बारे कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए।

(ख) निर्माण कार्य C/O street & nalla Kirpalpur, pankaj house to roshan house (माह 06/15, सामान्य रोकड़ बही) से सम्बन्धित माप पुस्तिका संख्या 7044 में 2 बैग सीमेंट की खपत दर्शाई गई थी, परन्तु सीमेंट स्टॉक रजिस्टर से 2 बैग जारी किये जाने सम्बन्धी प्रविष्टि नहीं दर्शाई गई, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए।

(ग) निर्माण कार्य C/O street, drain/sewerage, kirpalpur (माह 6/15, सामान्य रोकड़ बही) से सम्बन्धित माप पुस्तिका संख्या 7044 में 7 बैग सीमेंट की खपत दर्शाई गई थी, परन्तु सीमेंट स्टॉक रजिस्टर से 13 बैग सीमेंट जारी किये गए थे। स्पष्ट है 6 बैग अधिक जारी किये गए थे जिनकी वापसी स्टॉक रजिस्टर में नहीं दर्शाई गई। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा ₹1500 (6 बैग x 250 प्रति बैग) की वसूली उचित स्त्रोत से करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

(घ) निर्माण कार्य "Retaining wall meshi plashi" (माह 4/14, सामान्य रोकड़ बही) से सम्बन्धित माप पुस्तिका संख्या 7044 में P/L cement concrete 1:6:12 तथा P/L cement concrete 1:4:8 मदों का निष्पादन किया गया दर्शाया गया था, परन्तु निर्माण कार्य की समाप्ति पर माप पुस्तिका में जो निर्माण सामग्री खपत विवरणी बनाई गई थी उसमें सीमेंट की खपत नहीं दर्शाई गई थी। बिना सीमेंट के उपरोक्त मदों का निष्पादन किया जाना सम्भव नहीं है। अतः निर्माण कार्य से सम्बन्धित उपरोक्त मदों का निष्पादन बिना सीमेंट के किस प्रकार किया गया था इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए।

(ङ) अंकेक्षण के दौरान उपलब्ध करवाई गई जानकारी **(परिशिष्ट "ग")** के अवलोकन पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा निम्नलिखित प्रकरणों में सक्षम तकनीकी प्राधिकारी द्वारा निर्माण कार्य की मूल्याकिंत राशि से अधिक का भुगतान किया गया था जोकि अनियमित है। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए ₹53412 की वसूली उपयुक्त स्त्रोत से करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

रोकड़ बही	माह	निर्माण कार्य का शीर्ष	निर्माण कार्य पर किया गय व्यय	सक्षम प्राधिकारी द्वारा मूल्यांकित राशि	अधिक भुगतान
सामान्य	6/15	C/O street & nallah Kirpalpur pankaj house to roshan hous	149104	108896	40208
		C/O street/drain/sewerage Kirpalpur	120971	107767	13204
				कुल योग	**₹53412**

(च) अंकेक्षण के दौरान उपलब्ध करवाई गई जानकारी **(परिशिष्ट "ग")** के अवलोकन पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा निम्नलिखित प्रकरण में सक्षम तकनीकी प्राधिकारी द्वारा निर्माण कार्य हेतु स्वीकृत राशि से अधिक का भुगतान किया गया था जोकि अनियमित है। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा ₹6980 की वसूली उपयुक्त स्त्रोत से करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

रोकड़ बही	माह	निर्माण कार्य का शीर्ष	निर्माण कार्य पर किया गया व्यय	सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत राशि	अधिक भुगतान
सामान्य	6/15	C/O pacca rasta interlock tiles, main road to H/O avtar, village rakh ram Singh	156980	150000	6980

(छ) निम्नलिखित निर्माण कार्यों के कार्यान्वयन हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्वीकृतियाँ तथा सम्बन्धित माप पुस्तिकाएं अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं की गई। इसके अतिरिक्त चयनित मासों से सम्बन्धित निर्माण कार्यों के आंकलन भी प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किया जाए। साथ ही इन निर्माण कार्य पर आये कुल व्यय तथा तकनीकी प्राधिकारी द्वारा मूल्यांकित

राशियाँ सम्बन्धी जानकारी भी प्रस्तुत की जाएं ताकि निर्माण कार्यों पर किया गया कुल व्यय मूल्याकिंत राशियों के भीतर था इस तथ्य की पुष्टि की जा सके।

रोकड़ बही	माह	निर्माण कार्य का शीर्ष	स्वीकृति	माप पुस्तिका
मनरेगा	4/14	C/O talab dadi bhola (perstan)	नहीं दर्शाई गई	नहीं दर्शाई गई
सामान्य	4/14	C/O nala and rasta meshi plesi	नहीं दर्शाई गई	नहीं दर्शाई गई
		C/O borwell khedi	नहीं दर्शाई गई	नहीं दर्शाई गई
	6/15	C/O jang ghar near khera baba mender nikkuwal	नहीं दर्शाई गई	नहीं दर्शाई गई
		C/O sewerage dadi harnam	नहीं दर्शाई गई	नहीं दर्शाई गई
		c/o street & nail teja ram house to panchayat ghar	नहीं दर्शाई गई	नहीं दर्शाई गई
		C/O street & nail Khaminder master	नहीं दर्शाई गई	नहीं दर्शाई गई
	03/17	C/O sewerage avtar singh house to raj khul village dhadi bhola	----	नहीं दर्शाई गई
		C/O pacca rasta nh-2a8 to brham kumara ashram rakh ram singh	नहीं दर्शाई गई	नहीं दर्शाई गई
		C/O pacca rasta joginder gupta house to NH-21a doon vally colony	नहीं दर्शाई गई	नहीं दर्शाई गई
		C/O pacca rasta NH-21 A to keshav nand to doon vally colony	-----	नहीं दर्शाई गई
		C/O street & nail teja ram house to panchayat ghar	-----	नहीं दर्शाई गई
		C/O sewerage dadi harnam	-----	नहीं दर्शाई गई
		C/O sewerage dhadi Kanian hans raj house to ram lal house	----	

		C/O sewerage avtar Singh house to khera by pass road	नहीं दर्शाई गई	————
		C/O sewerage dhadi kanian gujjar basti	————	नहीं दर्शाई गई
		C/O Sewerage by pass to surrender house village Manyarpur	————	नहीं दर्शाई गई
		Solar lights Kirpalpur	————	नहीं दर्शाई गई
मनरेगा	3/17	C/O cattle shed Sh. Gurdiyal S/O Kapooriya village dhadi Kanian	नहीं दर्शाई गई	————
		C/O cattle shed Sh. Sita Ram S/O Taru Ram	नहीं दर्शाई गई	————

(ज) निर्माण कार्य "Pacca Rasta Interlock tiles, main road to avtar Singh house, Village Rakh Ram Singh" (सामान्य माह 03/17, माप पुस्तिका संख्या 7044) की पड़ताल के दौरान पाया गया कि मद संख्या 4 (Providing & laying cement concrete 1:3:6) के अन्तर्गत निष्पादित मात्रा 4.54 cubm ली गई थी जबकि वास्तविक निष्पादित प्रमात्रा 2.70 cubm बनती थी। इस प्रकार ₹4620 (11398 (4.54x2510.50)- 6778 (2.70 x 2510.50) का अधिक भुगतान किया गया था। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा ₹4620 की वसूली उपयुक्त स्त्रोत से करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

(झ) निर्माण कार्य "C/O Sewrage near Yograj house nikkuwal (सामान्य, माह 03/17, माप पुस्तिका संख्या 1279 की पड़ताल के दौरान निमनलिखित अनियमितताएं पाई गईः–

(i) रोकड़ बही (सामान्य माह 03/17 पृष्ठ संख्या 199) निर्माण कार्य हेतु ₹8688 चेम्बर्स (Chambers) का क्रय दर्शाया गया था, परन्तु माप पुस्तिका में इनकी खपत नहीं दर्शाई गई। इस बारे कोई औचित्य भी प्रस्तुत नहीं किया गया।

(ii) माप पुस्तिका में 37.21 cubm mud filling दर्शाई गई थी तथा इसके लिए ₹18603 (37.21 cubm x 500 per cubm) का भुगतान दर्शाया गया था परन्तु 37.21 cubm मात्रा की गणना किस प्रकार की गई थी इससे सम्बन्धित कोई भी विवरण माप पुस्तिका में दर्ज नहीं था, जबकि नियमानुसार Record entries की गणनाओं का सम्पूर्ण विवरण माप पुस्तिका में

प्रविष्टि किया जाना आवश्यक है। साथ ही इस मद के अन्तर्गत भुगतान ₹500 per cum का भुगतान market rate पर किया गया था परन्तु इस रेट के निर्धारण से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख औचित्य व Quotations आदि प्रस्तुत नहीं किया गया, जिस कारण किये गये भुगतान के सही होने की पुष्टि नहीं की जा सकी।

(ञ) प्रत्येक निर्माण कार्य आरम्भ करने से पूर्व निर्माण कार्य का प्राक्कलन तैयार किया जाना आपेक्षित है ताकि उसमें वर्णित मदों के अनुसार निर्माण कार्य का निष्पादन किया जाए। इस निर्माण कार्य का जो प्राक्कलन प्रस्तुत किया गया वह As per site बनाया गया था। स्पष्टतया प्राक्कलन कार्य की समाप्ति के उपरान्त बनाया गया था जोकि अनियमित है।

(ट) अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित निर्माण कार्यों से सम्बन्धित माप पुस्तिकाओं में ₹193897 की inter lock tiles की खपत दर्शाई गई थी परन्तु दर्शाई गई tiles की खपत सही थी इस तथ्य की पुष्टि नहीं की जा सकी क्योंकि न तो सम्बन्धित बिलों में तथा न ही माप पुस्तिकाओं में tiles के size दर्शाए गए थे। माप पुस्तिकाओं में इन tiles के size दर्शाए जाने चाहिए थे ताकि जितने area पर यह लगाई गई इस area पर tiles के size के अनुसार tiles की खपत पुष्टि हो पाती। अतः इस बारे आवश्यक गणनाएं करके आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में इस बारे आवश्यक विवरण माप पुस्तिकाओं में दिया जाना सुनिश्चित किया जाए।

रोकड़ बही	**माह**	**निर्माण कार्य का शीर्ष**	**निर्माण कार्य में दर्शाई गई inter lock tiles की खपत**	**माप पुस्तिका के अनुसार राशि**
सामान्य	3/17	C/O Sewerage & pacca rasta sarvani house to yogi house village Kipalpur	1610 tiles (40 mm) @ 10.24 per tile	16486
	3/17	C/O sewerage avtar Singh house to khera by pass road	3000 tiles (80mm) @ 13.65 per tile	40950
	6/15	C/o street/drain Kirpalpur	3010 tiles (40mm) @ 9.10 per tile	27391
	6/15	C/o street/drain Kirpalpur	4001 tiles (60mm) @ 10.24 per tile	40970
	6/15	C/O street/nalla Kirpalpur Pankaj house to Roshan house	6000 tiles (80mm) @ 11.35 per tile	68100
			कुल योग	**₹193897**

(ठ) माप पुस्तिकाओं में सामग्री उपयोग विवरणी (Material consumption statement) पूर्ण रूप से तैयार नहीं की जा रही थी। माप पुस्तिकाओं में तैयार की गई सामग्री उपयोग विवरणियों में केवल विभिन्न सामग्रियों की खपत दर्शाई जा रही थी। इनमें विभिन्न मदों में निर्माण सामग्रियों की consumption निकालने हेतु consumption factors का विवरण नहीं दिया जा रहा था जिसके अभाव में निमार्ण सामग्रियों के सही उपयोग की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं होता है। अतः भविष्य में सामग्री उपयोग विवरणी (Material consumption statement) पूर्ण रूप से तैयार की जानी सुनिश्चित की जाए ताकि निर्माण कार्यों में खपत की गई निर्माण सामग्रियों के सही उपयोग की पुष्टि की जा सके।

(ड) यह भी पाया गया कि माप पुस्तिकाओं में कुछ निर्माण कार्यों के आरम्भ तथा समाप्ति होने की तिथियों की प्रविष्टियाँ नहीं की गई थी। जिस कारण निर्माण कार्य निर्धारित समय अवधि के भीतर निष्पादित किये गये थे इस तथ्य की पुष्टि करना सम्भव नहीं होता है। कुछ निर्माण कार्यों की माप पुस्तिकाओं में Record entries में Cutting Over writing भी पाई गई जोकि अनियमित है। अतः उपरोक्त अनियमितताओं बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में इनकी पुनरावृति न हो यह सुनिश्चित किया जाए।

(ढ) यह प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 95 (1) में दिए गए निर्देशों का अनुसरण नहीं किया जा रहा था क्योंकि ग्राम पंचायत द्वारा Register of technical checks and technical sanctioned estimates (Form-310) अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया। इस कारण उपरोक्त नियम में दिए गए निर्देशों का अनुसरण किया जा रहा है इस तथ्य की पुष्टि नहीं हो पाई। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में उपरोक्त नियम में दिए गए निर्देशों का अनुसरण किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

9 क्रय सम्बन्धी अनियमितताएः–

औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹12.53 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4) व 67 (5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा ₹1252554 के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। निम्न प्रकरण केवल

चयनित मासों से सम्बन्धित है तथा अन्य मासों में भी इस प्रकार की अनियमितताएं की गई हो सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः उपरोक्त नियमों में प्रावधित औपचारिकताएं पूर्ण किए बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय किये जाने बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में उपरोक्त नियमों का अनुसरण कड़ाई से किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

रोकड़ बही	**माह**	**पृ0सं0**	**राशि (₹)**	**क्रय की गई वस्तु/ली गई सेवा का विवरण**
सामान्य	4/14	82	66500	रेत, बजरी
			2840	सीमेंट ढुलान
			39000	आरसीसी पाईप्स
		83	7780	रेत, गटका, बजरी
			4600	ईंटें
			25000	रेत, गटका, बजरी
			35250	बजरी
		84	1332	कार्यालय व्यय
	6/15	135	42656	टाईल्स
			42656	टाईल्स
		136	26162	टाईल्स
			26162	टाईल्स
			35831	टाईल्स
			5200	स्टोन डस्ट
			10692	चेम्बर्स
		137	49876	आरसीसी पाईप्स
			41748	पाईप्स
			15446	आरसीसी पाईप्स
			54200	स्टील
	3/17	199	8688	चेम्बर्स
			6416	चेम्बर्स
			52920	चेम्बर्स
			7335	चेम्बर्स

			5775	आरसीसी पाईप्स
		201	49765	टाईल्स
			49765	टाईल्स
			49765	टाईल्स
			49765	टाईल्स
			28437	टाईल्स
मनरेगा			28437	टाईल्स
			15600	स्टोन डस्ट
			71093	टाईल्स
			40162	आरसीसी पाईप्स
			13440	आरसीसी पाईप्स
			60000	ईंटें
			13500	रेत, बजरी
			37632	आरसीसी पाईप्स
		202	4600	ईंटें
			2300	ईंटें
			19040	आरसीसी पाईप्स
			19688	आरसीसी पाईप्स
मनरेगा	4/14	26	79500	रेत, बजरी, पत्थर
			6000	सीमेंट ढुलान
	कुल योग		**₹1252554**	

10 भुगतानों के एवज में प्राप्त पावतियाँ प्रस्तुत न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियम 2002 के नियम 50 (1) में दिए गए निर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा भुगतानों/व्यय के एवज में पावती प्राप्त की जानी अपेक्षित है। यह प्रतीत होता है कि इन निर्देशों का अनुसरण कड़ाई से नहीं किया जा रहा है क्योंकि व्यय की पड़ताल के दौरान पाया गया कि क्रय किये गये मेटीरियल तथा अन्य भुगतानों के एवज में सम्बन्धित फार्मे/कार्यालय से पावतियाँ प्राप्त नहीं की जा रही थी। इस अनियमितता से सम्बन्धित कुछ प्रकरण निम्नानुसार है। अतः इस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा

नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही उपरान्त अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। भविष्य में सभी भुगतानों/व्यय के एवज में पावतियाँ प्राप्त की जानी सुनिश्चित की जाए।

रोकड़ बही	**माह**	**पृ0सं0**	**राशि (₹)**	**क्रय की गई वस्तु/ली गई सेवा का विवरण**
सामान्य	4/14	82	66500	रेत, बजरी
			39000	आरसीसी पाईप्स
		83	13500	रेत, बजरी, गटका
			7780	ईंटें
			4600	रेत, गटका, बजरी
			25000	रेत, गटका, बजरी
			35250	बजरी
	6/15	135	42656	टाईल्स
			42656	टाईल्स
		136	26162	टाईल्स
			26162	टाईल्स
			35831	टाईल्स
			5200	स्टोन डस्ट
			10692	चेम्बर्स
		137	49876	आरसीसी पाईप्स
			41748	पाईप्स
			15446	आरसीसी पाईप्स
			54200	स्टील
	3/17	199	8688	चेम्बर्स
			6416	चेम्बर्स
			52920	चेम्बर्स
			7335	चेम्बर्स
			5775	आरसीसी पाईप्स
		201	49765	टाईल्स
			49765	टाईल्स

			49765	टाईल्स
			49765	टाईल्स
			28437	टाईल्स
			28437	टाईल्स
			15600	स्टोन डस्ट
			71093	टाईल्स
			40162	आरसीसी पाईप्स
			13440	आरसीसी पाईप्स
			60000	ईंटें
			13500	रत, बजरी
			37632	आरसीसी पाईप्स
		202	4600	ईंटें
			2300	ईंटें
			19992 (19040+952)	आरसीसी पाईप्स
			19688	आरसीसी पाईप्स
			43880	हिम ऊर्जा को भुगतान
मनरेगा	4/14	26	79500	रेत, बजरी, पत्थर

11 बिलों के भुगतान विलम्ब से करना:–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित प्रकरणों में ग्राम पंचायत ने वर्ष 2015 तथा 2016 से सम्बन्धित बिलों का भुगतान वर्ष 3/2017 में किया था। चर्चा के दौरान इस बारे कोई सन्तोषप्रद उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। यदि क्रय वर्ष 2015 में किया गया था तथा क्रय की गई सामग्री प्राप्त की जा चुकी थी तो इन बिलों का भुगतान साथ–2 किया जाना अपेक्षित था जोकि नहीं किया गया। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा वस्तुस्थिति से आगामी पर अवगत करवाया जाए।

रोकड़ बही	**पृ0सं0**	**वा0सं0**	**राशि**	**क्रय की गई सामग्री**
सामान्य	199	225	8688	चेम्बर क्रय
		226	6416	–यथोपरि–

	227	52920	आरसीसी पाईप्स
	229	7335	चेम्बर क्रय
	230	5775	आरसीसी पाईप्स
201	243	49765	ईनटर लॉकिंग टाईल्स
	244	49765	–यथोपरि–
	245	49765	–यथोपरि–
	246	49765	–यथोपरि–
	247	28437	–यथोपरि–
	248	28437	–यथोपरि–
	249	15600	स्टोन डस्ट
	250	71093	टाईल्स
	251	40162	आरसीसी पाईप्स
	252	13440	आरसीसी पाईप्स
	253	60000	ईंटें
	254	13500	रेत तथा बजरी
	255	37632	आरसीसी पाईप्स

12 उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करनाः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि विभिन्न लाभार्थियों को शौचालय निर्माण हेतु सामान्य की रोकड़ बही पृष्ठ संख्या 198 (माह 3/17) के अनुसार ₹36000 (12000 x 3 वाउचर संख्या 222 से 224) जारी की गई थी, परन्तु अंकेक्षण के दौरान सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी इन राशियों के उपयोगिता प्रमाण पत्र अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व उपयोगिता प्रमाण पत्र आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किये जाए। इसके अतिरिक्त जारी राशियों के एवज में लाभार्थियों से पावतियाँ प्राप्त करके आगामी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित की जाए।

13 स्टोर / स्टॉकः–

(क) प्रत्यक्ष सत्यापन न करवानाः–

हिमाचल प्रदेश पचांयती राज (वित, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए। ग्राम पंचायत के अनुसार अपेक्षित कार्यवाही करके आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवा दिया जाएगा।

(ख) स्थाई एवं अस्थाई भण्डार की स्टॉक प्रविष्टियाँ न करनाः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित विभिन्न स्थाई एवं अस्थाई भण्डार की प्राप्ति तथा जारी किये जाने सम्बन्धी प्रविष्टियाँ स्टॉक सामग्री रजिस्टर में नहीं की गई थी। निम्न प्रकरण केवल चयनित मासों से सम्बन्धित है तथा अन्य मासों मे भी इस प्रकार की अनियमितताएं की गई हो इस सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ–2 हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियम 2002 के नियम 69 के अन्तर्गत अपेक्षित कार्यवाही करने के उपरान्त सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किये जाएं। ग्राम पंचायत के अनुसार स्टॉक सामग्री रजिस्टर अद्यतन करके आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवा दिया जाएगा।

रोकड़ बही	माह	पृ0सं0	राशि (₹)	क्रय की गई वस्तु / ली गई सेवा का विवरण
सामान्य	4 / 14	82	66500	रेत, बजरी
			39000	आरसीसी पाईप्स
		83	7780	रेत, गटका, बजरी
			4600	ईंटें
			25000	रेत, गटका बजरी
			35250	बजरी
	6 / 15	135	42656	टाईल्स
			42656	टाईल्स

	136	26162	टाईल्स
		26162	टाईल्स
		35831	टाईल्स
		5200	स्टोन डस्ट
		10692	चेम्बर्स
	137	49876	आरसीसी पाईप्स
		41748	पाईप्स
		15446	आरसीसी पाईप्स
		54200	स्टील
	138	725	स्टेशनरी
3/17	199	8688	चेम्बर्स
		6416	चेम्बर्स
		52920	चेम्बर्स
		7335	चेम्बर्स
		5775	आरसीसी पाईप्स
	201	49765	टाईल्स
		49765	टाईल्स
		49765	टाईल्स
		49765	टाईल्स
		28437	टाईल्स
		28437	टाईल्स
		15600	स्टोन डस्ट
		71093	टाईल्स
		40162	आरसीसी पाईप्स
		13440	आरसीसी पाईप्स
		60000	ईंटें
		13500	रेत, बजरी
		37632	आरसीसी पाईप्स
	202	4600	ईंटें

			2300	ईंटें
			19992 (19040+952)	आरसीसी पाईप्स
			19688	आरसीसी पाईप्स
			43880	सोलर लाईअ
मनरेगा	4/14	26	79500	रेत, बजरी पत्थर
		कुल योग	**₹1287939**	

(ग) स्टॉक सामग्री रजिस्टर (प्रारूप–6) का रख रखाव सही रूप से नहीं किया जा रहा था। रजिस्टर में सीमेंट बैग के निर्माण कार्यों को जारी करने सम्बन्धी कुछ प्रविष्टियों (वर्ष 2015–16, पृष्ठ संख्या 8) को सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था साथ ओवर राईटिंग भी की गई थी। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा सक्षम प्राधिकारी से इनका सत्यापन करवाकर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए। भविष्य में इसकी पुनरावृति न हो यह भी सुनिश्चित किया जाए।

14 विविधः–

(क) रसीद बुक के इस्तेमाल से सम्बन्धित अनियमितताओं बारेः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज के नियम 2002 के नियम 5 का अनुसरण नहीं किया जा रहा है। चयनित मासों में आय की पड़ताल के दौरान पाया गया कि रसीद बुक्स पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा काउंट सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा था। साथ ही रोकड़ बही में रसीदों की प्रविष्टियाँ क्रमानुसार नहीं की गई थी। एक साथ एक से अधिक रसीद बुकों का प्रयोग किया जा रहा था। यह भी पाया गया कि रद्द की गई रसीदों को सक्षम प्राधिकारी से सत्यापित नहीं करवाया गया था। साथ ही कुछ प्राप्तियों की रसीदें भी नहीं काटी गई थी। अंकेक्षण के दौरान रसीद बुक रजिस्टर प्रस्तुत न किये जाने के कारण रसीद बुकों की प्रविष्टियों तथा उनके शेषों सम्बन्धी पड़ताल नहीं का जा सकी। अतः उपरोक्त अनियमितताओं बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ–2 इनके बारे अपेक्षित कार्यवाही करके तथा रसीद बुक रजिस्टर अद्यतन करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए। भविष्य में इन अनियमितताओं की पुनरावृति न हो ये भी सुनिश्चित किया जाए।

(ख) बिल पारित करने सम्बन्धित निर्देशों का पालन न करनाः–

चयनित मासों में व्यय की पड़ताल के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत निधि से किये जा रहे अधिकतम भुगतानों को केवल प्रधान द्वारा ही सत्यापित किया गया था जोकि अनियमित है। कुछ भुगतानों का तो प्रधान द्वारा भी सत्यापन नहीं किया गया था जोकि निम्न तालिका में दर्शाए गए प्रकरणों से स्पष्ट हो जाता है। पंचायती राज वित्त नियम 2002 के नियम 49 (1) के अनुसार कोई भी भुगतान तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक कि ग्राम पंचायत के प्रधान व सचिव द्वारा शब्दों एवं अंकों दोनों में देय रकम को इसमें लिखते हुए संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित न किया गया हो। अतः इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में पंचायत निधि से किये जाने वाले सभी भुगतानों को प्रधान व सचिव द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित करने के उपरान्त ही किया जाना सुनिश्चित किया जाए साथ में निम्नलिखित प्रकरणों बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ–2 अपेक्षित कार्यवाही भी की जाए।

रोकड़ बही	माह	पृ0सं0	राशि	विवरण
सामान्य	3/17	201	1108	टेलीफोन/इन्स्टरनेट बिल का भुगतान
		198	2276	–यथोपरि–
		198	513	बिजली बिल

(ग) मस्टर रोल्स सम्बन्धी अनियमितताओं बारेः–

यह भी पाया गया कि अधिकतम प्रकरणों में निर्माण समिति/Village monitoring committee (vmc) द्वारा मस्टर रोल्स पर निर्माण कार्यों के ठीक से होने बारे सत्यापन नहीं किया गया था । Muster Rolls का Part III (रोकड़ बही, सामान्य) जिसमें भुगतान से पूर्व निर्माण कार्य का माप/अन्य विवरण भरा जाना तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाना अपेक्षित है यह नहीं किया जा रहा था। Muster Rolls रजिस्टर में भी सम्पूर्ण विवरण नहीं भरा जा रहा था तथा Muster Rolls को क्रमानुसार जारी नहीं किया गया था। अतः इन अनियमितताओं बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में इनकी पुनरावृति न हो यह भी सुनिश्चित किया जाए।

(घ) बजट प्राक्कलनः–

अंकेक्षण के दौरान कार्यवाही रजिस्टर प्रस्तुत न किये जाने के कारण हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियम 2002 के नियम 37 की में दिये गये निर्देशों का अनुसरण किया जा रहा है। इस तथ्य की पुष्टि नहीं की जा सकी। निर्देशों के अनुसार बजट आंकलन निर्धारित

समय (28 फरवरी से पूर्व) के भीतर पारित करवाया जाना तथा बजट निर्धारित फार्म "11" पर बनाना अनिवार्य है। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ–2 सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किया जाए तथा भविष्य में उपरोक्त नियम में दिए गए निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ङ) विहित रजिस्टरों के रख रखाव बारेः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान स्टेशनरी रजिस्टर (फार्म–28), miscellaneous demand and collection register (फार्म–10), अस्थाई अग्रिम रजिस्टर, (फार्म–9) Register of bills received (फार्म–13), Stock register of non consumable articles (फार्म–25), Stock register of consumable articles other than stationary and printed material (फार्म–26), माप पुस्तिका रजिस्टर आदि का रख रखाव ही नहीं किया जा रहा है। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा उपरोक्त अभिलेख आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किये जाने सुनिश्चित किये जाए। भविष्य में उपरोक्त नियमानुसार अभिलेख का रख रखाव तथा नियमित रूप से उनका अद्यतन किया जाना सुनिश्चित किया जाए। ग्राम पंचायत के अनुसार अपेक्षित कार्यवाही उपरान्त अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवा दिया जाएगा।

(च) वाउचर नस्ति में बिल संलग्न न होनाः–

व्यय की पड़ताल के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत के इन्टरनेट/टेलीफोन बिल वाउचर नस्ति (उदाहरणार्थ माह 3/17 में 2276 (पृष्ठ संख्या 198) तथा 1108 (पृष्ठ संख्या 201) का भुगतान) में संलग्न नहीं थे केवल उनके भुगतान से सम्बन्धित रसीदें ही संलग्न थी जोकि अनियमित है। इस कारण भुगतान किये गए बिलों की अवधियों बारे स्थिति स्पष्ट नहीं होती है। इस बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ–2 भविष्य में वाउचर नस्ति मे बिल तथा रसीदें दोनों का संलग्न किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(छ) अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने बारेः–

अंकेक्षण के दौरान कई बार आग्रह करने के बावजूद निम्नलिखित अभिलेख पड़ताल हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जिस कारण आवश्यक पड़ताल नहीं की जा सकी। अतः निम्नलिखित अभिलेख आगामी अंकेक्षण पर पड़ताल हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

रोकड़ बही	माह	पृ0सं0	राशि	विवरण
सामान्य	3/17	202	43880	सोलर लाईटस हेतु भुगतान (बिल प्रस्तुत नहीं किया गया)
IAY	12/15	59	614	पास बुक में ब्याज की प्रविष्टि नहीं दर्शाई गई

15 **लघु आपत्ति विवरणिकाः—** अलग से जारी नहीं की गई।

16 **निष्कर्षः—** खातों में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/—
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.
फोन नं0—0177 2620881

पृष्ठांकन संख्याः— फिन(एल0ए0)एच(पंच)15(4) 42/2018—खण्ड—1—4132—4135 दिनाँक 05.06.2018 शिमला—171009,

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः—

पंजीकृत
1. सचिव, ग्राम पंचायत किरपालपुर, विकास खण्ड नालागढ़, तहसील नालागढ़ जिला सोलन, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी, सोलन, जिला सोलन, हि0प्र0
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड नालागढ़ तहसील नालागढ़ जिला सोलन, हि0प्र0

हस्ता/—
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.
फोन नं0—0177 2620881